भारत सरकार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4291 19 मार्च, 2020 को उत्तर के लिए

आवासीय क्षेत्र में सीलिंग से संबंधित रीतियां

4291. श्री अधीर रंजन चौधरी : क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 01.11.2018 के अपने निर्णय में "परामर्श" जारी किया था, जिसका आवासीय क्षेत्रों में परिसरों को सील करते समय दिल्ली के संबंधित नगर निगम प्राधिकरणों द्वारा की जाने वाली रीतियों/पूर्ण प्रक्रियाओं का पालन किया जाना था और उसके बाद उत्तरी डीएमसी के तत्कालीन किमश्नर ने अपने सभी संबंधित पदाधिकारियों को उक्त "परामर्श" प्रचालित किया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) वे कौन से कार्यकारी अभियंता (बी-1) सिटी पहाइगंज जोन, उत्तरी दिल्ली नगर निगम तथा संबंधित अन्य कनिष्ठ पदाधिकारी हैं जिन्हें अत्यधिक अनावश्यक अधिकार दिया गया और जिन्होंने इस परामर्श की अनदेखी की और आवासीय क्षेत्र के अंदर कई परिसरों को सील कर दिया था तथा इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के विरुद्ध कई अपराध किए थे;
- (ग) क्या यह एक अपराध है जिसमें तत्प्रतित कृत्य के साथ-साथ संपत्ति का अधिकार अधिनियम की धारा 300 का उल्लंघन शामिल है; और
- (घ) केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

<u>उत्तर</u>

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह प्री)

- (क) : उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) ने सूचित किया है कि एम.सी.मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य नामक शीर्षक की रिट याचिका (सिविल) सं. 4677/1985 के संबंध में दिनांक 01.11.2018 और दिनांक 02.11.2018 को पारित माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में, आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) ने सभी संबंधित अधिकारियों को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की ध्यानपूर्वक अनुपालना करने हेतु दिनांक 04.12.2018 को एक परिपत्र सं. डी-1052/विधि(मुख्यालय)/उत्तर/2018/2241 जारी किया था।
- (ख) से (घ) : उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) ने सूचित किया है कि नोटिस जारी करने में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यथा निर्धारित प्रक्रिया की अनुपालना की गई है जहां सम्पत्तियों का दुरूपयोग देखा गया है।
